

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 98] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 7, 1981/ फाल्गुन 16, 1902

No. 98] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 7, 1981/PHALGUNA 16, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

*Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation*

श्रम मंत्रालय

अभिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1981

क्र. आ. 181 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री को.एस. राधुपति के स्थान पर श्री बी.जी. देशमुख, सचिव, श्रम मंत्रालय, को सलाहकार समिति के पदेन सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करती है और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2), तारीख 24 जनवरी, 1981 के पृष्ठ 159-161 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अभिसूचना सं. का. आ. 51 (अ), तारीख 24 जनवरी, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना के क्रम संख्यांक 3 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“3 श्री बी. जी. देशमुख,
सचिव, अम संवासय” ।

[सं. एस-42013/2/76-डब्ल्यू सी]

एम. सेठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 1981

S.O. 151(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby nominates Shri B. G. Deshmukh, Secretary, Ministry of Labour as an ex-officio member of the Advisory Committee vice Shri K. S. Raghupati and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 51(E) dated the 24th January, 1981 published at pages 161-162 of Part II Section 3 sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary dated January 24, 1981

In the said notification, for entry at serial number 3, the following entry shall be substituted, namely :—

“3. Shri B. G. Deshmukh,
Secretary, Ministry of Labour”.

[No. S-42013/2/76-WC]

M. SETH, Jt. Secy.